प्राक्कथन

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल है, को संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

क.भ.नि.सं. तथा इसके क्षेत्रिय कार्यालयों (क्षे.का.) तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों (उ.क्षे.का.) के निष्पादन लेखापरीक्षा 2006-07 से 2011-12 हेतु इनके अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से की गई थी। के.भ.नि.सं. के लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों क.भ.नि.सं. के साथ-साथ मंत्रालय को जारी कर दी गई थीं तथा उनके उत्तरों पर विचार किया गया है तथा उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल कया गया है।